

of first clearance of such paper. The total amount of concession to a paper plant under this scheme would however be limited to 30 per cent of the initial investment made on plant and machinery installed therein so that no unit may derive undue benefit. This substantial concession which is in line with Government's policy of promoting industrial growth, will, I hope generate interest among intending entrepreneurs to come up with new proposals for investment in the Paper Industry.

I now come to Tyre Industry. In 1976, Government had announced a Scheme for Excise Duty Relief for Tyre and Tube Manufacturing Industry for achieving higher levels of production. The duty relief was given in the form of exemption from excise duty to the extent of 25 per cent of the duty leviable on clearances in excess of base clearance with reference to base periods. This Scheme was discontinued on 14th July, 1978, and was replaced by a new Scheme. The main features of the new Scheme were as follows:—

(i) Tyre units were divided into two categories namely, those established before 1st April, 1976, and those established after that date. For the pre-1976 units, excise duty relief at 12.5 per cent of the duty leviable was provided, while for the post-1976 units, the relief was at 25 per cent.

(ii) The excise relief was admissible upto a level of 75 per cent of the licensed capacity. Only those tyre units were eligible for excise relief whose licensed or installed capacity did not exceed 5 lakh tyres and tubes.

The new Scheme introduced in July, 1978, was continued upto March, 1980, but was not extended during the year 1980-81. The whole question of giving excise relief to tyre industry has been reviewed. It is felt that it is necessary to formulate an

excise duty relief scheme for tyre units as a means to neutralise the comparatively higher capital cost of the newer plants as well as to encourage fresh investment in this industry. Accordingly, an excise duty relief scheme for the tyre industry has been formulated in consultation with Ministry of Finance, the salient features of which are that units which commenced or would commence clearance of tyres on or after 1-4-1976 but before 1-4-1984 would be eligible to the benefit of the new excise duty relief scheme for tyres for a period of five years, from the date of first excise clearances of tyres from the respective units. The excise duty relief would be at the rate of 25 per cent of the duty leviable and would be admissible upto a level of 75 per cent of the initial licensed capacity during each financial year. The period for which these units might have enjoyed the benefit of excise duty exemption under the 1976 and 1978 schemes will, however, be taken into consideration in computing the period of five years. The total duty relief under this scheme including the relief, if any, earned under the earlier schemes, will be subject to a ceiling of 30 per cent of the initial investment on plant and machinery installed in respective unit so that no tyre unit may get undue financial advantage.

The statutory Excise notifications giving effect to these decisions will be issued shortly and copies of the same will be placed on the Table of the House in due course.

13.10 hrs.

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF FINANCE
 (SHRI R. VENKATARAMAN): I beg
 to move for leave to introduce a Bill
 further to amend the Income-tax Act,
 1961.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II Section 2, dated 24-4-1981.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961.

The motion was adopted.

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

13.11 hrs.

(The Lok Sabha adjourned for Lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.)

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[**SHRI CHANDRAJIT YADAV** in the Chair]

BUSINESS OF THE HOUSE

MR. CHAIRMAN: The Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Chairman, Sir, I am on a point of order.

My point of order is under rule 288 and rule 289. This is an effort to by pass the Business Advisory Committee. Consistently, on three occasions, the hon. Minister has been coming to the House without consulting the Business Advisory Committee. I read out rule 288:—

"It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee."

Then, rule 289 reads:—

"The recommendations of the Committee shall be presented to the House in the form of a report."

The meeting of the Business Advisory Committee was not called. I am a member of the Committee. We do not know what the hon. Minister has decided. The hon. Minister cannot take a decision with reference to

the business for the next week. Therefore, I object to his statement being made regarding the business for the next week.

श्री राम विलास पासबाब : (हाजीपुर) : समाप्ति जी, जैसा पारुलेकर जी ने कहा है, मैं भी उसमें अपने आपको समर्पित करता हूँ। जब कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी और सारे के सारे मेम्बर यहां थे, माननीय मंत्री जी भी यहीं थे तथा मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बाइडिंग नहीं है कि स्पीकर साहब न हों, तो उस अभाव में डिप्टी स्पीकर साहब नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक बुलानी चाहिए थी और बैठक बुलाने के बाद, उसमें डिस्कशन होकर कोई रिपोर्ट आती तो उस को पार्लियामेंट में रखना चाहिए था और यदि कोई माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते तो वे सुझाव देते लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम इसका रख रहे हैं कि यदि माननीय सुझाव देना शुरू कर देंगे, तो फिर आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में समय की बर्बादी होगी और मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसलिए आप इसको पॉस्टपोंड कीजिए और बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक बुलाकर फिर वह रिपोर्ट हाउस में रखी जाए।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय का अधिकार है, वे बुलाते हैं। उसमें हम लोगों को तरफ से कोई आपत्ति का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ सरकार की कामना के बारे में

**Introduced with the recommendation of the President.

वक्तव्य देने की बात है, यह बराबर दिया जाता रहा है। आप ने खोए हैं कि इस तरह का एग्जक्शन लैस्ट-टु-इस-मैट्टर था; ता समापतिज्ञ ने कहा था कि नहीं यह सरकारी काम काज है। अंगले सप्ताह में सरकार काम काज लेने का प्रस्ताव है, वह सरकार की जबाबदेही है और संसदीय कार्य मंत्री की जबाबदेही है, उसका सदन के समक्ष रखना, इसलिए उन अधिकार से मैं रख रहा हूँ।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: There are certain motions under rule 193. It will be necessary for us to tell the Business Advisory Committee as to what motions should be taken up. The hon. Speaker has said that next week he is going to admit, under rule 193, a motion on the killings of Harijans in Andhra Pradesh. There are so many other motions. It is not only the Government business.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Let the statement be made. So many problems will be automatically solved.

SHRI HARIKESH BAHADUR: (Gorakhpur): Hon. Minister can make a statement. But, we can also just put forward our point of view for discussion this week.

MR. CHAIRMAN: You have made your submission. Your name is on the list. You will get an opportunity.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Unless the Committee report is there, how can we make suggestions? That is also a point. If that matter is not considered, how can we put forward our views?

MR. CHAIRMAN: Anyhow, I think that this is correct that the business of the House should go normally to the Business Advisory Committee and even if the Speaker is not present, the Deputy Speaker presides. I think that normally the meeting should be called. But, today is the last day of the week. For the next week, I think, whatever business has to be placed before the House, let the Minister place that business. Already ten Members have made their submis-

sions. As a special case, I think you will agree with that.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 27th April, 1981, will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from the order paper of today.

2. Consideration and passing of:—

(i) The Disturbed Areas (Special Courts) Amendment Bill, 1981.

(ii) The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1981.

(iii) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

(iv) The Sales promotion Employees (Conditions of Service) (Amendment) Bill, 1980, as passed by Rajya Sabha.

(v) The Food Corporations (Amendment) Bill, 1981.

(vi) The Marriage Laws (Amendment) Bill, 1981.

3. Discussion under Rule 193 regarding atrocities being perpetrated on the Adivasis in different parts of the country.

MR. CHAIRMAN: Normally, when the Business Advisory Committee recommends the business, the practice is that the Members of the Business Advisory Committee do not make suggestions here but this time the Business Advisory Committee did not meet and I find from the list that three Members of the Business Advisory Committee have also made submissions that is why I am saying that in the special situation I am allowing them also. I request Members to make only points. No speeches are needed. As the Minister has placed the items, so you can suggest that these items can also be considered in the House.

[Mr. Chairman]

Anyhow, Mr. Ram Vilas Paswan will speak.

SHRI — G. M. BANATWALLA (Ponnani): I seek one clarification. We are supposed to give notice before we make our submission. That is the usual practice. We hear the Minister. After hearing him on the business that he mentions, only then, certain points can be presented. In that case, after hearing those 10 Members with reference to the particular business that he has announced, other Members should also be allowed to raise their points. Otherwise, in the morning, I do not know what he is going to announce. How can I decide?

MR. CHAIRMAN: You might not have known what he is going to announce but you might have known your mind. You might be knowing what you want to discuss. I know you can make your submission. You are a very intelligent Member. You find all methods to put forth your views.

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अगले सप्ताह के कार्य का जो विवरण दिया है, मैं उसमें दो विषय जोड़ना चाहता हूँ। पहला विषय—एशियन गेम्स के सम्बन्ध में और दूसरा—दिल्ली के ला-एण्ड-आर्डर के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं और इस सदन को भी मालूम है कि एशियन गेम्स का जो मामला है वह विकृत रूप ले चुका है। विकृत इस रूप में है कि उसके अब तक तीन अध्यक्ष बदल चुके हैं। पहले श्री विजय कुमार मल्होत्रा थे, उन को हटा कर श्री बी० सी० शुक्ला आये और अब उन को भी हटा कर श्री बूटा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, किसी दिन इनको भी हटाकर किसी चौथे व्यक्ति को बना दिया जाएगा। दूसरे देशों में—इसके बाद जहाँ ये खेल होने वाले हैं—वहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं लेकिन यहाँ पर आपसी

झगड़े के कारण सारा मामला खटाई में पड़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहूँगा कि दूसरे देशों में जहाँ जहाँ भी खेल होते हैं, वहाँ उन का एक अलग मंत्रालय रहता है लेकिन यहाँ एक अलग मंत्रालय खेलों का नहीं है बल्कि एक मंत्री है जो इस काम को भी देखते हैं। अब मंत्री के सिर पर पचासों काम हैं और उन के अलावा यह काम भी सौंप दिया गया है। इसमें एक, दो रुपये का मामला नहीं है, एक हजार करोड़ रुपये का यह मामला है। किस प्रकार से इसका यूटीलाइजेशन हो, यह बात देखने की है। आप यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस गरीब देश के लोगों के पसीने की कमाई यह है और पूरे देश के गांवों में किस प्रकार की सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग बगैर पानी के मर रहे हैं और लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है और विभिन्न भागों से भूख से लोगों के मरने की रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। ऐसी स्थिति में एक हजार करोड़ रुपया खेलों के नाम पर बहा दिया जाए, यह कहाँ तक उचित है। खेल के नाम पर इस रुपये का सदुपयोग होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है बल्कि इस रुपये के दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और सभापति महोदय, आप यह देखेंगे कि जहाँ कहीं भी ठेके के काम दिये जा रहे हैं वे बिल्कुल पक्षपातपूर्ण ढंग से दिये जा रहे हैं और भाई भतीजावाद चल रहा है।

सभापति महोदय : अब आप ने नेक्स्ट आइटम पर बोलिये।

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। इस देश में

आवश्यकता किस चीज की है। पहले लोगों को पानी देने की है या खेलों के नाम पर करोड़ों रुपये इस तरह से बहने की है। खेलों की ही बात है, तो आप गांवों में व्यायामशाला खोलिए, गांवों में आप प्ले-ग्राउंड बनाइए। वहां पर आप क्यों नहीं यह काम करते हैं। खिलाड़ी नीचे से जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक हमारा काम न ही चलेगा। हिन्दुस्तान के बगीचे में दस, पांच कमल के फूलों को खिलाना और बाकी को गन्दी नालियों में रहने देना, हमारे जैसा आदमी बर्दास्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह सदन सर्वोपरि है और इस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए।

दूसरा ला एण्ड आर्डर का मामला है। पूरे देश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। डाकुओं से मुठभेड़ के नाम पर गरीबों का, हरिजनों का, आदिवासियों का कत्लेआम हो रहा है और सरकार कानों में तेल डाल कर, प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सोई हुई है। और जगहों के बारे में तो कह दिया जाता है कि यह प्रदेशों का मामला है लेकिन मैं दिल्ली के बारे में, जहां के लिए पिछले दिनों भिडर साहब ने, दिल्ली के पुलिस कमिशनर ने कहा था, कि विश्व की राजधानियों में दिल्ली सब से ज्यादा सुरक्षित राजधानी है।

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) : सभापति महोदय, व्याख्या करने की क्या आपने इन को परमिशन दे दी है। ये किस विषय पर बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैं देख रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कह रहा हूं कि प्रत्येक पेपर में आप यह देखिये कि यह निकला है, फाइम इन देहली और इस का एक कालम बना हुआ है। यहां

पर पार्लियामेंटरी एफयर्स मिनिस्टर बैठे हैं और वेंकटरमन साहब बैठे हैं।

सभापति महोदय : आप यह चाहते हैं कि इस पर बहस हो।

श्री राम विलास पासवान : जी, हां। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी कल के बारे में जो आज पेपर में निकला है, उस में यह है कि 24 घंटे के अन्दर तीन लाख बरामद हुई हैं। यहां दिल्ली में प्रशासन की नाक के नीचे, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की नाक के नीचे और पार्लियामेंट की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं कि 24 घंटे के अन्दर तीन, तीन लाख बरामद हुई हैं और जन जीवन वस्त है, आप लाख चाहें जो बोल लीजिए आज दिल्ली और पूरे देश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है, तो इस मसले पर और एशियन गेम्स पर, इन दोनों पर बहस होनी चाहिए।

SHRI EDUARDO FALEIRO: (Mormugao): Mr. Chairman, Sir, I want to raise only one point which definitely concerns government business. To find a solution to the question that I am raising, all of us in this House must put our heads together. It is not at all a partisan issue.

The discussion on Demands for Grants has just been completed. We find that only nine Ministries' Demands for Grants have been discussed, and 24 Ministries' Demands for Grants have remained undiscussed. One of the main aspects of government business is to obtain sanction from Parliament for its budgetary expenditure. It is also our responsibility to give sanction for public expenditure, and that is Parliamentary control over government expenditure. Not only this year, but all these years, there has been a steady and also a sharp deterioration of this control of Parliament over government expenditure. This is a fact in

[Shri Eduardo Faleiro]

India; this is a fact in every country wherever Parliamentary democracy exists. Because of this sharp deterioration, there is no control actually over government expenditure. Not only are the Demands for Grants of only a few Ministries discussed, but even, in respect of the Demands for Grants which are discussed, most of the Members are allowed to speak only for five minutes or so; you cannot have any debate or discussion worth the name in depth under these circumstances. For this reason, the Commonwealth Speakers' Conference a couple of years ago, in Canberra had strongly recommended a Committee system, a system of Standing Committees, subject-wise, with reference to the various Ministries which are constituted, so that the discussion should be in depth and suggestions can be made which the Government could also accept and Members also develop some level of expertise...

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): You may raise it when you speak on the Finance Bill.

MR. CHAIRMAN: You can take note of his point.

SHRI R. VENKATARAMAN: If he speaks on the Finance Bill, I may also make some observations.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Then I will raise it on Finance Bill.

MR. CHAIRMAN: All right, Mr. Harikesh Bahadur.

SHRI HARIKESH BAHADUR: In fact there had not been a discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Education for the last two years. At the same time, reports of the University Grants Commission for the years 1978-79 and 1979-80 were not discussed. Therefore, I would like to suggest that time should be provided for discussion of these reports of University Grants Commission because education is a subject

of vital importance. I have already given a motion also on this and I have been continuously representing and telling in all the Business Advisory Committee meetings and whenever I have got an opportunity to speak here, I have spoken. I do not know whether the Government is going to accept it. Very humbly I request the hon. Minister for Parliamentary Affairs that it should be given time.

The second thing I want to raise is that the prices of essential commodities are going up and especially, sugar is neither available nor its prices are controlled properly because somewhere the prices of sugar have gone up to Rs. 30 to 40...

SHRI RAM VILAS PASWAN: In Ranchi it is Rs. 40.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Yes, we read in papers that in Ranchi it is sold at Rs. 40. Therefore, I would like to urge upon the Government to provide time for a discussion in any form on the sugar prices and its non-availability. I hope these two suggestions will be accepted.

प्रो० अजित कुमार मेहता
(समस्तीपुर) : सभापति जी, मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच घाघरा नदी के किनारे अवस्थित दियारे में बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा-विवाद के झगड़े का निपटारा करने के लिये स्वर्गीय पंडित नेहरू के समय "त्रिवेदी आयोग" नियुक्त हुआ था। जिसने अपनी संस्तुति भी प्रस्तुत की थी किन्तु वह विवाद आज भी कायम है। दोनों सम्बन्धित राज्य एक दूसरे पर संस्तुतियों का कार्यान्वयन न करने का आरोप लगाते हैं। परिणाम किसानों को भुगतना होता है। फसल कोई लगाता है और काटता कोई और है। अतः इसको निपटाने के लिए अगले सप्ताह के कार्यक्रम में मैं इस विषय को सम्मिलित करने का आग्रह करता हूँ।

दूसरे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन और कार्पा-
लय के विस्तार के लिये ग्रामीणों की
जीविका का एक मात्र साधन जमीन अर्जित
कर ली गयी थी। उसके विस्थापितों
के पुनर्वास और उनके नियोजन का कोई
उपाय नहीं किया गया है। मैं आग्रह करता
हूँ कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम में इसे भी
सम्मिलित किया जाये।

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vish-
nupur): I would like to make two
suggestions and request the Govern-
ment to consider them sympatheti-
cally.

The first one is a comprehensive
legislation for the Bidi workers. Sir,
as you know, Bidi making is an in-
dustry and 40 lakhs workers are
employed in this industry. Last year
the then Labour Minister, Mr. An-
jiah in reply to my questions said
that the Government is thinking of
bringing forward a comprehensive
legislation. So I request the Govern-
ment to bring a legislation in the
coming session of the Parliament.

My second point is about the
nationalisation of the wolfram mine
of Chanda Pathar in the district of
Bankura of West Bengal. Already
the Government has taken over wol-
fram mines in Rajasthan. I would
request the Government to bring for-
ward a bill to nationalise the said
mines in West Bengal.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री रामावतार शास्त्री। शास्त्री जी, मेरा
क्याल है कि आपका गला खराब है, इसलिए
आप थोड़ा-सा बोलिये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): मैं सिर्फ
दो ही बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता
हूँ। यह बात अच्छी हुई है कि अगले सप्ताह में,
अधिवेशियों पर जो हमले हो रहे हैं उनके
बारे में बहुत होगी। यह अच्छी बात है और
इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन

मैं उसी तरह का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना
चाहता हूँ। पूरे हिन्दुस्तान में किसानों का
कलेश्राम हो रहा है। पुलिस और जमींदार
मिल कर के कलेश्राम कर रहे हैं। हमारे सूबे
बिहार में पिछले एक साल में 50 से ज्यादा
किसान और खेतिहार मजदूरों मारे गए हैं।
हर जगह इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं।
तमिलनाडु में, कर्नाटक में और अभी अखबार
में पढ़ा है कि स्वयं प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र
मेडक में 3 किसानों की हत्या कर दी गई।

सभापति महोदय: ठीक है, इसकी चर्चा
आपने कर दी है।

श्री रामावतार शास्त्री: नहीं, इसकी चर्चा
ढंग से नहीं हुई थी।

सभापति महोदय: यह चर्चा का विषय
नहीं है। आल-रेडी आपने मेशन कर दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री: आपने किसी को
नहीं रोका।

सभापति महोदय: यह विषय इस वक्त
चर्चा का नहीं है। मुझे चर्चा की थी—कहा
गया था कि आप इसके ऊपर सवाल

(अवधान)

श्री रामावतार शास्त्री: जब किसानों
की बात है तो।

सभापति महोदय: मुझे बताया गया है
कि आपने डिप्टी स्पीकर साहब से बात की थी।
इसलिए चैंबर में जो हो उसका आदर किया
जाना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री: मैंने उसे इस
तरह से नहीं माना।

सभापति महोदय: कैसे भी माना हो,
लेकिन इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। इस
पर आप समय न लें।

श्री रामावतार शास्त्री: इस तरह की
घटनाएँ जो घट रही हैं वे इस लिए भी ज्यादा

[श्री रामावतार शास्त्री]

रियस हैं क्योंकि वे प्रधान मंत्री के क्षेत्र में भी हो रहा है। इसलिए मैं इसे अंडर-जाइन कर रहा हूँ और इस पर बहस होनी चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिससे पूरे देश को चिंता है। हमारे देश में सी०आई०ए० का अट्ठा मजबूत होता जा रहा है। वे कंप्यूटर लगा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने मेरे और दो अन्य सदस्यों के सवाल के जवाब में 22 अप्रैल को स्वीकार किया है कि अमरीका की तरफ ने उनकी एंबेसी में कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं अब्बास का एक उद्धरण पढ़कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। "प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कल लोकसभा में एक लिखित सवाल के उत्तर में इस कंप्यूटर की कहानी सही बतायी थी। उनके उत्तर से यह भी आभास मिलता है कि इन कंप्यूटर को लॉगेली स्थित सी०आई०ए० के मुख्यालय से भी बड़ी जल्दी जोड़ दिया जाएगा।"

इसी प्रकार से बहुत बड़ा जवाब है। मैं पूरा जवाब न पढ़कर थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। यह किन-किन कार्यों के लिए लगाया जा रहा है—

(1) व्यक्तियों के बारे में जानकारी संबंधी फाइल,

(2) प्रोपर्टी इन्वेंटरी स्टेट्स फाइल,

(3) आवासीय देखरेख संबंधी फाइल,

(4) स्पेन तथा अमरीकी दूतावास के अन्य प्रकाशनों के लिए ग्राहकों की सूची,

(5) अमरीकी केन्द्र में 'वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन'।

इस तरह के अट्ठों से खतरा है। अभी देख रहे हैं कि अमरीका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, उससे भी देश को खतरा है तो यह तो देश के अंदर हो रहा है तो इसलिए यह पूरे

देश के लिए चिंता की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सवाल पर एक विशेष बहस होनी चाहिए, जिससे हम इस देश की हिकाजत के लिए एक व्यावहारिक कदम उठा सकें।

श्री आर० एन० राकेश (चैन) :
सभापति जी मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रमों की सूची में दो विषय जोड़ना चाहता हूँ। पहला विषय है—प्रकाश प्राप्त फौजी जवानों की पेंशन के सम्बंध में। सी० डी० ए० पेंशन इलाहाबाद में 1975-76 से ही कर्मचारियों द्वारा ओवर टाइम काम लिया जा रहा है और प्रतिदिन उनसे 3-4 घंटे जबरिया काम कराया जाता है जिसमें पहले एक घंटा बराबर उनसे वेगारी लो जा रही है जिसका उनको कोई भत्ता नहीं मिल रहा है। वे जो काम करते हैं उनको कोई मजदूरी उनको नहीं मिलती है और 3 घंटे बराबर उनसे ओवर-टाइम कराया जाता है। मजदूरी तो देते हैं लेकिन उसको ले कर कर्मचारियों में काफी टेंशन है। देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। इलाहाबाद के इस आफिस में एक हजार से ले कर डेढ़ हजार लोगों से ओवर टाइम कराया जाता है। इनके काम का स्तर भी नीचे गिरता है और कर्मचारियों पर ओवर-टाइम की वजह से वर्क लोड भी बढ़ा है। जब कर्मचारियों द्वारा विरोध होता है तो कहा जाता कि वह ट्रांसफर होगा। वर्क ट्रांसफर के वजह से चाहता हूँ कि और लोगों को रखा जाए और लोगों को एम्प्लाय-मेंट दिया जाए। रोज इस सब को ले कर वहाँ सभाएं होती हैं स्ट्राइक होती है रोज हड़ताल होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। इस सवाल को भी अगले सप्ताह की सूची में शामिल किया जाना चाहिये।

खुशी की बात है कि संसदीय कार्य मंत्री ने हरिजनों आदिवासियों पर होने वाली एट्रासिटीज का विषय भी जोड़ लिया है। जब वह आंध्र-प्रदेश के पंद्रह आदिवासियों की बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि कर्नाटक के अलम्मा मंदिर में प्रतिवर्ष पांच से छः हजार हरिजन आदिवासी कमजोर वर्ग अल्प-संख्यक लड़कियों को जो देवदासी बना दिया जाता है मंदिर में उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनको देश के विभिन्न वैश्यालयों में भेज दिया जाता है और यह जो परम्परा है यह आजादी के बाद से भी इसी ढंग से चली आ रही है और हमारे माथे पर एक महान कलंक है इस पर भी विचार होना चाहिये और इसको भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिये। गुजरात की तरह से अलम्मा मन्दिर को ले कर यह प्रक्रिया तेजी से बन रही है। सब से बड़ा इसका प्रमाण इलाहाबाद का मेडीकल कालेज है। वहाँ पर दर्जनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। दो की हालत तो गम्भीर है। वे हो सकता है मर भी गए हों या मरने वाले हों। इस देश में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है लोगों में बड़ा आवेश है। हिन्दुस्तान में जगह जगह डा० अम्बेदेकर जयन्ती मनाई जा रही है और इस इशू को मेन इशू बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के आदिवासियों की हत्या के मामले को जब लिया जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसी के साथ साथ अलम्मा में जो अत्याचार इन वर्गों के लोगों के साथ हो रहे हैं उसको भी इसके साथ जोड़ा जाए।

श्री बिजय कुमार यादव (नालंदा) : मैं भी अगले सप्ताह की कार्रवाई में चाहता हूँ कि दो बिषय जोड़ लिए जाएं। अभी शास्त्री जी ने सी० आई० ए० की

गतिविधियों के एक एपैक्ट की चर्चा की है। मैं दूसरा एसपेक्ट ले रहा हूँ। अमरीका की कुख्यात गुप्तचर संस्था सी० आई० ए० का बदनाम अधिकारी जार्ज प्रिफिन जो इस समय पाकिस्तान में सी० आई० ए० की गतिविधियों का संचालन कर रहा है और जो पेशावर से जनवादी अफगानिस्तान के खिलाफ तथा कथित विद्रोहियों की गतिविधियों का संचालन और नियोजन कर रहा है अब भारत आ रहा है और भारत को सी० आई० ए० का मुख्य अड़ड़ा बनाने की साजिश कर रहा है। इससे देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अतः इस अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

मैसर्स इस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के मजदूर 13 अप्रैल 1981 से संसद के सामने स्थित बोट क्लब पर अपनी छः सूची मांगों को ले कर धरना दे रहे हैं। इनकी मांगों में जिन मजदूरों का कार्य-काल 240 दिन हो गया है उन्हें नियमित करने छंटनी रोकने छाने गए मजदूरों को काम देने तथा वाजिब मजदूरी और महंगाई भत्ता देने की मांगें प्रमुख हैं। इस सिलसिले में 12 अगस्त 1980 को माननीय भदस्थ श्री इंदजीत गुप्त के साथ प्रधान मंत्री जी की बातचीत हुई थी। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस में इंटरवीन करने की बात कही थी। अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्रवाई में इसको भी रखा जाना चाहिये और इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अगले सप्ताह की कार्य सूची में कई महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया है। मैं भी दो विषय उसमें जुड़वाना चाहता हूँ।

[श्री हरीश चन्द रावत]

पहला विषय है कल जैसे सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हमारे देश में एक प्रान्त में 46 राजनीतिक हत्याएँ पिछले कुछ दिनों में हुई हैं और दूसरे प्रान्त के संदर्भ में भी इसी तरह की बात इस सदन में उठाई गई यह चिन्त का विषय है। हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित राजनीतिक दल हैं जिनको सत्ता में आना है और शासन करना है। उसमें सत्ताह्व दल आपस में कमजोर पार्टनर को या विपक्ष के लोगों को मारेंगे राजनीतिक हिंसा करेंगे तो इस तरह से हमारे देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है मैं चाहता हूँ कि इसे अगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें जिससे सदन में विचार हो सके।

सभापति जी आप भी उत्तर प्रदेश सम्बन्धित हैं यह एक विशाल प्रान्त है वैसे ही इसकी गरीबी और दरिद्रता भी उतनी ही गहरी और विशाल है। वहाँ की गरीबी और कठिनाइयों के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलता है लेकिन गहराई से उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय है अगर हृदय कमजोर हो तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विन्ध्यांचल और उत्तरांचल के क्षेत्रों की गरीबी को दूर करने के संदर्भ में इस सदन में चर्चा होनी चाहिये।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अगामी सप्ताह के लिए जो बिजनेस के बारे में अपरिपोर्ट रखी है उसमें मैं दो बातों को खास तौर से जोड़ना चाहता हूँ।

पहली बात तो यह है कि इस समय किसान की फसल विशेषकर गेहूँ खलिहानों में पड़ा हुआ है। देश के अनेक राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली केवल 3, 4 घंटे प्रतिदिन किसानों को मिल पाती है। गेहूँ की फसल जल्दी उठाने को एक माह तक चौबीसों घंटे बिजली का मिलना आवश्यक है ताकि धूम्र चला कर गेहूँ का दाना निकाला जा सके। इसलिए चौबीसों घंटे धूम्र चलाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तुरन्त उपलब्ध कराई जाये और भविष्य में सिंचाई की सुविधा हेतु समस्त नये नलकूपों को बिजली के कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाये। बिजली का कनेक्शन जिनमें देना है चाहे प्राइवेट ट्यूबवेल हो या सरकारी हो सबको बिजली के कनेक्शन दिये जायें। जिनके इंजन खराब हो गये हैं या नालियाँ बनने का काम है उनको अगली बरसात से पहले पहले बनवा लिया जाए ताकि सिंचाई की व्यवस्था हो सके।

इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि देश में म. लाह नियाद धरर केवट बिन्द कहार आदि जो मछली व अन्य जल उत्पादन करते हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। यह अत्यधिक पिछड़े हैं और इनकी सामाजिक व आर्थिक दशा अत्यधिक सोचनीय एवं दयनीय है। अतः इनके धन्धे उद्योग के उत्थान हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।

यह दोनों बातें अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़े जाने चाहिये।

SHRI BHISHAM NARAIN SINGH: Sir, I am extremely grateful to the hon. Members for the valuable suggestions which they have made. I have noted the valuable suggestions. I will also go through the proceedings, and if it is necessary, I will bring it to the notice of the Business Advisory Committee.

श्री राम बिलास पासवान : एक भी नोट किए हैं ?

MR. CHAIRMAN: He has said that he will go through the proceedings and he has taken note of the suggestions which have been made, and if necessary, he will bring it before the Business Advisory Committee. What more do you want from him?

Now, let us proceed to the next item.

14.49 hrs.

FINANCE BILL, 1981—Contd.

MR. CHAIRMAN: We will now take up further consideration of the following motion moved by Shri R. Venkataraman on the 22nd April, 1981, namely:—

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1981-82 be taken into consideration."

Shri Kali Charan Sharma was on his legs.

He may continue his speech.

श्री कालीचरण शर्मा (भिड़) : माननीय सभापति महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था और उसी सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आगे कुछ सुझावों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

किसानों के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था, उसमें एक तो खाद की रियायत बढ़ाने की आवश्यकता है। आप देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन के रेट काफी बढ़ गये हैं और पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ खाद की कीमतें भी बढ़ी हैं। किसान को जो गेहूं का आज मौजूदा भाव मिलता है, उसमें इतनी महंगी खाद वह खेतों में नहीं लगा पाते हैं। मेरा निवेदन है कि आप किसान के लिए खाद की

सब्सीडी को बढ़ायें ताकि वह गेहूं व अन्य चीजों के उत्पादन में खाद का उपयोग कर सके।

जिन जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, सिंचाई के साथ-साथ वहां उसके अतिरिक्त उत्पादन जैसे जैसे बढ़ते हैं और चीजें भी बढ़ती हैं, उसके साथ-साथ वहाँ उद्योग भी लगाये जाने चाहिये। उसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री को बजट में व्यवस्था करनी चाहिये ताकि हमारे किसानों की उत्पादित चीजों का सदुपयोग हो सके।

मध्य प्रदेश जैसे कई प्रदेशों में खनिज और वन-सम्पदा का अपार भंडार है। इसलिए वहां पर खनिज सम्पदा और वन-सम्पदा पर आधारित उद्योग खोलने की बहुत गुंजाइश है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें और राज्य सरकारों को भी ऐसे उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित करें।

अगले साल कृषि-उत्पादन के भाव तय करते समय यह देखा जाये कि औद्योगिक उत्पादन की कीमत कितनी बढ़ी है और किसान के उत्पादन की कीमत कितनी बढ़ी है। वे दोनों भाव समान रूप से निर्धारित करने चाहिये और उनमें उचित सामंजस्य होना चाहिये। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में किसान का एक विशिष्ट स्थान है। चूंकि वह उत्पादित वस्तुओं को ज्यादा खरीदता है, इसलिए उसकी खरीदने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। आज स्थिति यह है कि किसानों पर बैंकों का काफी कर्जा लदा हुआ है और किसान दिन-प्रति-दिन कर्जदार होते जा रहे हैं। रिजर्व बैंक से जो ऋण दिया जाता है, उसका ब्याज कम होता है, लेकिन जब वह रुपया किसान तक पहुंचता है तो उसका ब्याज 12, 14 परसेंट हो जाता